O/o Principal General Manager Telecom District
CTO Compound, Shahzadi Mandi,
Agra - 282001
Tel – 0562-2225111
FAX – 0562-2225100

Bharat Sanchar Nigam Limited
(A Govt. of IndiaEnterprise)

विषय: जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा–बाह–कचौराघाट मार्ग के कि.मी. चैनेज 44.700 से 91.200 तक मार्ग की दांयी पटरी पर ग्राम अरनौटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को नेशनल ऑप्टीकल फायबर नेटवर्क योजना के अन्तर्गत, संयोजन हेतु ऑप्टीकल फायबर केबिल डालने हेतु प्रभावित 01.395 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।

मानक शर्तों सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

(वन अनुभाग, उ0 प्र0 शासन के पत्रांक 7314/14-3-1980/82 dt.31.12.85द्वारा निर्धारित मानक शर्तें)

1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नही होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नही।

3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही करेगा।

4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथ इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हैं।

5- हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।

6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।

7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भ्व होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं व्यय जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9- सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियो/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलबध करायी जायेगी।

10- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवष्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।

Cont.- 2

(Rameshwar Prasad) 25/6/2018
D.E. (NOFN)
% GMTD AGRA

O/o Principal General Manager Telecom District
CTO Compound, Shahzadi Mandi,
Agra - 282001
Tel – 0562-2225111
FAX – 0562-2225100

Bharat Sanchar Nigam Limited
(A Govt. of IndiaEnterprise)

11- सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" के अतिरिक्त मुख्या अभियंता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन भी "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13- वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14- हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपड़ तथा तीन वर्ष तक परिशोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्व है। इसी प्रकार बांज के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15- वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करे उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ो का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16- यदि नहर आदि निर्माण में भू–रक्षण की सम्भावना होती है, और नहर की दोनो पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वंय करायेगा।

17- उपरिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18- वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जायें।

मै भारत संचार निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्ते मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

25/6/2018
(Rameshwar Prasad)
D.E. (NOFN)
% GMTD AGRA